मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 1994 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 1994 (भाद्र 23, 1916)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्रीमती सरला देवी पाठक, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1989-90 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री रत्नेश सालोमन, राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड भोपाल की 17 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) श्री उदय मुदलियार, सदस्य, राजनांदगांव स्थित बंगलौर-नागपुर काटन मिल को कच्चा माल और आर्थिक सहायता न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री वाणिज्य एवं उद्योग का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री रमेश शर्मा (गुड्डू भैया), ओंकार प्रसाद तिवारी, रघुनंदन शर्मा, सदस्य, भोपाल के हमीदिया अस्पताल का एक हिस्सा गिरने के कारण जूनियर डॉक्टर्स के काम पर न आने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री मोती कश्यप, ओंकार प्रसाद तिवारी, बाबूलाल गौर, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम पटकुई में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसे जिन्दा जलाये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री नन्दकुमार सिंह चौहान, पूरनमल शर्मा, कुंवर विजय शाह, सदस्य, बुरहानपुर के निकट एक अन्तर्राज्यीय पुल के टूटने से यातायात प्रभावित होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री जालम सिंह पटेल, सभापति, प्राक्कलन समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मण्डला जिले के -

(क) ग्राम कोसमपानी में माध्यमिक शाला खोले जाने,
(ख) ग्राम घुघरी में नल-जल योजना लागू करने,
(ग) ग्राम मवई में नल-जल योजना लागू करने,
(घ) ग्राम मोतीनाला में माध्यमिक शाला खोले जाने, तथा
(ङ.) ग्राम मंगली में माध्यमिक शाला खोले जाने,

(2) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

(क) विलायत कला, रमगढ़ा आदि ग्रामों में सिचाई हेतु शासकीय नल-कुप योजना की स्वीकृति दिये जाने,
(ख) ग्राम विलायत कला स्थित अशासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को शासनाधीन लिये जाने, तथा
(ग) ग्राम झरेला में नल-कुप योजना लागू किये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) ग्राम चौमों में सुखनई नदी पर स्टाप डेम-कम-रपटा बनाये जाने,
(ख) ग्राम सेन्दरी के हरिजन आदिवासियों को आवंटित भूमि का आधिपत्य दिलाये जाने, तथा
(ग) ग्राम खिस्टोन के गोलाखिरक में प्राथमिक शाला खोले जाने,